

सार्वजनिक सूचना/मुनादी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सरकार/माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य पूर्णतः बन्द है:-

1. कूड़े इत्यादि को जलाना।
2. अपशिष्ट इत्यादि रोड़ पर डालना।
3. भवन/बिल्डिंग को बनाने व गिराने से सम्बन्धित कार्य।
4. बिल्डिंग मैटेरियल से सम्बन्धित कार्य।
5. जनरेटर/तंदूर इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।
6. फसल अवशेष जलाने से सम्बन्धित कार्य।
7. धूल से सम्बन्धित सभी कार्य इत्यादि।

उक्त की पालना न करने पर चालान व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए उल्लघन करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा।




सचिव,
नगरपालिका कलानौर।

पृ० क्रमांक:- एम०सी०के०/2024/5274-77

दिनांक:- 20/11/24

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला नगर आयुक्त, रोहतक।
2. प्रशासक नगरपालिका कलानौर कम उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।
3. नगरपालिका कलानौर वेबसाईट।
4. नोटिस बोर्ड



सचिव,
नगरपालिका कलानौर।